

महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभा 0135-2608763, फ़ैक्स: 0135-2608746

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/483

दिनांक : 25/01/2020

सेवा में,

1. मुख्य चिकित्साधिकारी,
समस्त जनपद उत्तराखण्ड।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
समस्त जिला/बेस/संयुक्त चिकित्सालय उत्तराखण्ड।

विषय : एडवायजरी Novel Coronavirus (nCoV 2019) विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक D.O. No. Z.18015/01/2020-EMR दिनांक 17/01/2020 (संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में Wuhan City, China में novel coronavirus (nCoV) का आउटब्रेक रिपोर्ट हुआ है। nCoV 2019 रोग से प्रभावित रोगी Severe Acute Respiratory Illness (SARI) से ग्रसित पाये गये हैं। चीन देश में novel coronavirus 2019 (nCoV) के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं। उत्तराखण्ड राज्य में nCoV 2019 के समुचित रोकथाम हेतु निम्न कार्यवाहियों की जानी आवश्यक है :

1. nCoV 2019 के प्रभावी नियंत्रण एवं उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गाइडलाईन (SOPs), एडवायजरी, case definition and daily reporting formats सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर जनपदों को प्रेषित की जा रही है।
2. जनपद के प्रमुख चिकित्सालयों/मेडिकल कालेज चिकित्सालयों में nCoV 2019 के मरीजों के उपचार हेतु पृथक से आईसोलेशन वार्ड बनवाना सुनिश्चित करें।
3. किसी फिजीशियन/चिकित्सक को चिकित्सालय के आईसोलेशन वार्ड का नोडल अधिकारी नियुक्त करना तथा उनके नाम व कान्टैक्ट नं0 (मोबाइल) एवं आईसोलेशन वार्ड में बेडों की संख्या से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को अवगत कराना।
4. संदिग्ध मरीज को लाने व ले जाने के लिए पृथक से एक एम्बूलेंस की व्यवस्था रखें जिसमें इन्फेक्शन कन्ट्रोल की सुविधा हो।
5. nCoV 2019 प्रबन्धन व रोकथाम हेतु समस्त चिकित्सालयों तक सपोर्टिव ट्रीटमेन्ट व सामग्री (PPE, N 95 Mask, VTM etc) की उपलब्धता सुनिश्चित रखें।
6. जनपद में nCoV 2019 रोगियों हेतु चिकित्सालयों में ventilator की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
7. आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्विलेन्स सुदृढीकरण के लिए Acute Respiratory Infection/Influenza like illness का सघन सर्विलेन्स की दैनिक रिपोर्टिंग की जाये व राज्य स्तर पर दैनिक रिपोर्ट ई0मेल idsputtarakhand@gmail.com पर की जाये।
8. जो भी जनपद पड़ोसी देश चीन व नेपाल से बोर्डर साझा करते हैं वह संलग्नक में वांछित सूचना प्रदान करते हुए निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें व दैनिक रूप से राज्य स्तर को सूचित करें।
9. यह भी सुनिश्चित करें कि आम जनमानस में अनावश्यक भय की स्थिति ना उत्पन्न हो।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा0 अमिता उप्रेती)

महानिदेशक

o/c

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/484 Defn as above

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
6. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 अमिता उप्रेती)

महानिदेशक

o/c